न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजकीय माध्यमिक विधालय गुडीसर

प्रार्थी

तुलसाराम पुत्र नारणाराम जाति–जाट, निवासी–बोला तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चिमाराम पुत्र नारणाराम 2. उदाराम पुत्र नवलाराम 3. गेनाराम पुत्र सिमरथाराम 4. जेठाराम पुत्र दुर्गाराम जातियान जाट, निवासीयान बोला, तहसील व जिला बाड़मेर। 5. मोबताराम पुत्र उमेदाराम 6. हीराराम पुत्र देवाराम जातियान–प्रजापत,निवासी–मीठीसर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

राजस्व आवेदन संख्या–610/2018 **दिनांक–17.12.2021**

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा गुड़ीसर पटवार हल्का बोला, तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 492/83 रकबा 60.00 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/6612 – 6615 दिनांक– 17/12/2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बोला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाहीं पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी तुलसाराम पुत्र नारणाराम जाति–जाट, निवासी–बोला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी चिमाराम पुत्र नारणाराम वगैरा जाति जाट/प्रजापत, निवासी–बोला मीठीसर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर